न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 4/2021 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती अंजुम पत्नी श्री तबरेज खां, जाति मुसलमान, निवासी 77, नेहरू बाजार, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मोतीसिंह पिता भैरूसिंह जी, निवासी भागतलाई, साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. किशनसिंह पिता मेघसिंह जी राजपूत, निवासी भागतलाई, साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. रणजीतसिंह पिता देवीसिंह जी राजपूत, निवासी भागतलाई, साकरोदा, हाल निवासी सोलंकियों का वाडा, मेडता, मोतीखेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. रामसिंह पिता देवीसिंह जी राजपूत, नाबालिग बविलायत माता मु. भंवर कंवर बेवा देवीसिंह जी राजपूत निवासी भागतलाई, साकरोदा, हाल निवासी सोलंकियों का वाडा, मेडता, मोतीखेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती भंवर कंवर बेवा देवीसिंह जी राजपूत निवासी भागतलाई, साकरोदा, हाल निवासी सोलंकियों का वाडा, मेडता, मोतीखेडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
6. शम्भूसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी भागतलाई, साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. भोपालसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी भागतलाई, साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती तुल्छा कुंवर बेवा भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी भागतलाई, साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. बेबी कुंवर पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी भागतलाई, साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. आशा कुंवर पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी भागतलाई, साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती किशन कुंवर पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी भागतलाई, साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती राज कुंवर पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी भागतलाई, साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती तारा कुंवर पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी भागतलाई, साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, [illegible] उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:37 IST
Reason: SelfAttested

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक
15—10—2020 प्रकरण संख्या 149/18

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :— 1— श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रे.सं. 1
3— श्री पुष्करलाल लोहार अभिभाषक रे.सं. 2
4— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 26—09—2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं नक्शा दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भागतलाई, तहसील गिर्वा में हाल आराजी नंबर 157 रकबा 0.0250 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 87 थे। उक्त साबिक आराजी नंबर 87 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नंबर 88 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा भूमि वादी मोतीसिंह व भंवरसिंह के नाम दर्ज थी, जिसके हाल पैमाईश में नंबर 154 रकबा 0.0900 हैक्टर, 155 रकबा 0.2400 हैक्टर, 156 रकबा 0.950 कुल किता 3 रकबा 0.4250 हैक्टर भूमि वादी व भंवरसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 से 12 के नाम दर्ज हो गयी, जो साबिक के मुकाबले 0.0050 हैक्टर कम दर्ज हुई। यानि साबिक आराजी नंबर 87 व 88 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा को कन्वर्ट करने पर 0.4300 हैक्टर बनता है, लेकिन हाल आराजी नंबर 154, 155, 156 कुल किता 3 रकबा 0.4250 हैक्टर ही दर्ज किया गया। यानि 0.0050 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया गया तथा साबिक नक्शे में कुल रकबा 0.4050 हैक्टर ही दर्ज किया गया है यानि 0.0250 हैक्टर कम दर्ज किया गया है। हाल आराजी नंबर 157 रकबा 0.0250 हैक्टर मिलान क्षेत्रफल में साबिक आराजी नंबर 86 से बनना बताया गया है, जबकि साबिक आराजी नंबर 87 से बना है। सेटलमेन्ट के खसरा में इस प्रकार का इन्द्राज होते हुए भी उसमें कांट—छांट कर 87 के बजाय 86 अंकित कर मेघसिंह, केसरसिंह पिता गुलाबसिंह के नाम दर्ज कर दिया। मेघसिंह व केसरसिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 होकर विरासत से उनके नाम दर्ज हो गयी। इस गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 09—09—2010 को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया जो नुमाईशी होकर बिना अधिकार के है। [illegible] आराजी नंबर 157 रकबा 0.0250 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 12 की है [illegible] उन्हीं का कब्जा चला आ रहा है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:37 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नंबर 157 रकबा 0.0250 हैक्टर भूमि के 1/2 हिस्से का वादी को तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 5 से 12 को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर नक्शा दुरस्त कराया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 14–06–2017 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09–10–2018 को अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः अपीलान्ट को वादी से जिरह करने का अवसर देकर तथा उसकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया एवं वादी की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15–10–2020 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–01–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री पुष्करलाल लोहार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी/अपीलान्ट के नाम दर्ज थी, लेकिन जानबूझकर उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में विपक्षी/रेस्पोन्डेन्टगण विवादित भूमि अपने नाम दर्ज करने पर आमादा हैं, इसलिए अपील प्रस्तुत करनी आवश्यक हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी नंबर 157 रकबा 0.0250 हैक्टर क्रय किया है [illegible] हम उसे प्रभावित पक्षकार पाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:37 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि दिनांक 20–12–2020 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व अन्य मौके पर आये तथा अपीलान्ट को धमकी दी कि उक्त जमीन का निर्णय हमारे पक्ष में हो चुका है, तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चुंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि आराजी नंबर 157 रकबा 0.0250 हैक्टर भूमि अपीलान्ट द्वारा अन्य आराजी नंबर 158 व 228 के साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 26–02–2015 को किशनसिंह से क्रय की गयी है, जिसके आधार पर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ है, फिर भी उसे बिना पक्षकार बनाये रेस्पोन्डेन्ट ने मिलीभगत से डिक्री प्राप्त कर ली। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में इसी प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2017 में भूमि अपीलान्ट द्वारा खरीदने एवं उसके खातेदारी में दर्ज होने का उल्लेख है, जिसके विरूद्ध आप न्यायालय में किशनसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 09–10–2018 स्वीकार कर प्रकरण पुनः अपीलान्ट को वादी की साक्ष्य में जिरह करने का अवसर देकर विधिक निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया गया था। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट थी कि अपीलान्ट प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, फिर भी उसे पक्षकार बनाये बिना, अपीलान्ट के हक हितों के विपरीत निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने दिनांक 26–02–2015 को आराजी नंबर 157 रकबा 0.0250 हैक्टर अपीलान्ट श्रीमती अंजुम को रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, त[illegible] भूमि की मालिक काबिज अपीलान्ट है तथा नामान्तरकरण संख्या 522 से राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:37 IST
Reason: SelfAttested

गया। अधिनस्थ न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 14–06–2017 में भी उक्त विक्रय पत्र का उल्लेख है, जिसकी अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दिनांक 09–10–2018 को अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट श्रीमती अंजुम को बिना पक्षकार बनाये पुनः निर्णय पारित कर दिया। आराजी नंबर 157 के साबिक आराजी नंबर 86 है जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इसकी अनदेखी करते हुए निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः रेस्पोन्डेन्ट की लिखित बहस स्वीकार कर अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि ''पटवारी हल्का साकरोदा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि राजस्व रेकार्ड अनुसार जमाबन्दी संवत् 2070–73 में आराजी नंबर 157 श्रीमती अंजुम पत्नी तबरेज खां, निवासी 77, नेहरू बाजार, उदयपुर के नाम दर्ज है, जिसका नामान्तरकरण 522 है। मौके पर आराजी नंबर 157 पर वादी मोतीसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत का आवासीय मकान बना हुआ है। वादी द्वारा दावे के साथ भू–प्रबन्ध विभाग के सर्वेयर के हाथ का पेन्टोग्राफ व रिपोर्ट लगी हुई है। उक्त रिपोर्ट अनुसार आराजी नंबर 157 का साबित नंबर 87 है। विवादित आराजी नंबर 157 का साबिक नंबर 87 श्री भंवरसिंह, मोतीसिंह पिता भैरूसिंह के खाते साबिक रेकार्ड में दर्ज था।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–10–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:37 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती अंजुम पत्नी श्री तबरेज खां, जाति मुसलमान, निवासी 77, नेहरू बाजार, उदयपुर बनाम **मोतीसिंह पिता भैरूसिंह, निवासी भागतलाई, साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**04 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**15**.....माह.....**10**.....**2020**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**26**.....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीष शर्मा**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री ओंकारलाल डांगी / पुष्करलाल लोहार**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–10–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
...
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**26**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:37 IST
Reason: SelfAttested